



राज्य प्रदेश UTTAR PRADESH

592705



वित्तिय अनुभव पर मय 1981

सोपान की लागत	-	₹ 7,53,004/-
रिजर्व अनुवर्ति	-	₹ 7,48,874/-
उत्पाद 3-वर्षी	-	₹ 1,000/-
नारिजा	-	₹ 6,52,700/-
जदा विप 1-वर्षी लागत 1981	-	₹ 58,151/-
कुल मय मय	-	₹ 15
उत्पत्ता	-	रिजर्व

राज्य प्रिण्ट





बन्कर प्रदेश UTTAR PRADESH

080417  
 06/01/2016  
 10000/10000

- 1.
2. नाम - श्रीमान
3. सम्पत्ति का विवरण - मुझे अर्द्ध अक्षय 20000 रुपया  
 0000 केवलकर का पूर्ण नाम दिया गया - श्रीमान श्रीमान -  
 दिल्ली, जम्मू व कश्मीर प्रदेश।
4. माता-पिता के नाम - श्रीमान
5. सम्पत्ति का प्रकार - 0000 रुपया
6. अर्द्ध की स्थिति - मुद्रा-पुत्र सेवा से 2000 रुपया

08/01/2016





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 331189

2020-2021

-4-

प्रथम पक्ष की पक्षिका - 1

द्वितीय पक्ष की पक्षिका - 1

प्रथम पक्ष का विवरण	द्वितीय पक्ष का विवरण
शुद्धराम पुर तिलोत्तरी	शुद्धराम पुर तिलोत्तरी
निवासी-शुद्धराम पुर तिलोत्तरी	निवासी-शुद्धराम पुर तिलोत्तरी
परीस-परास तिलोत्तरी	परीस-परास तिलोत्तरी
राजमोहन ग बिल जलपान	राजमोहन ग बिल जलपान
आवास-ती	आवास-ती





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1971 100  
100/100

5

एक निम्न अज्ञात पुत्र परदारन पुत्र निम्नो  
 निवासी- सुन्दर भवत राम उनीन परान सिन्धुत, पन्दीन  
 न निन लकनऊ जिन्ने उनी प्रथम नन नन नन डे निम्नो  
 न-नन नन न-न न निन लकनऊनो, नननन एन  
 निम्नो-ननन नननन न.

एन

सुन्दर पुनार पुन नननन निवासी नन एन निनी निनीनी,  
 निन नननोनी निनी ननी निनीन नन नन नन डे निनन

नननन  
 नननन

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये  
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES  
Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5 025195

32013/07

श्री ५०२५१५  
५/०२/०७

- 6 -

अनुप्राप्त हिसाब पर के विविध दफ्तरी कार्यों, परिसर एवं  
विपणन कार्य सम्पादन हेतु के लिये निष्पादित किया गया।

यह जोर देना पर भूमि उमदा देखा जायदा खसम पदमा  
करीबत का पुन माग रिब, माक- करीबत माक- विरगीर,  
करीबत व रिब माक- के माक- माक- के माक- है तथा  
पन्थीर, करीबत माक- के माक- माक- के माक- के  
अनुप्राप्त भूमे खसम का माक- माक- माक- के माक-  
दस्तावेजों के माक- है। खसम पर माक- माक- देखा

श्री ५०२५१५

श्री ५०२५१५



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

₹.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 025156 = 100

3711/100  
 10/10/1956  
 10/10/1956

दिये गए हैं। इस विषय में प्रत्येक व्यक्ति को सूचित किया जा रहा है।  
 प्रत्येक व्यक्ति को सूचित किया जा रहा है कि यह प्रमाण पत्र केवल प्रमाण के लिए ही है और यह किसी भी प्रकार के अधिकार का प्रमाण नहीं है।  
 प्रमाण पत्र केवल प्रमाण के लिए ही है और यह किसी भी प्रकार के अधिकार का प्रमाण नहीं है।  
 प्रमाण पत्र केवल प्रमाण के लिए ही है और यह किसी भी प्रकार के अधिकार का प्रमाण नहीं है।  
 प्रमाण पत्र केवल प्रमाण के लिए ही है और यह किसी भी प्रकार के अधिकार का प्रमाण नहीं है।  
 प्रमाण पत्र केवल प्रमाण के लिए ही है और यह किसी भी प्रकार के अधिकार का प्रमाण नहीं है।





भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

STAMP

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000



उत्तर प्रदेश (UTTAR PRADESH)

3 095157

3 1118 591

-8-

विषय है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम 1956 का प्रथम भाग में  
 विधायक अन्तरावकाश की शर्तों के अन्तर्गत भूमि का उत्तराधिकार  
 मिलने का अधिकार या अन्तर्गत उत्तराधिकार के अन्तर्गत विवाद का प्रत्येक  
 विवाद नहीं है, किन्तु कुछ उत्तराधिकार हैं। प्रथम भाग के अन्तर्गत उत्तर  
 प्रदेश में विधायक अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
 हैं, कि प्रथम भाग का अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
 है। अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
 रु.1000/- एक मात्र अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत





उत्तर प्रदेश LITTAI PRAHISEI

025 50

2010 2010

-9-

उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्य को तेज कराने का निश्चय किया है।  
 प्रदेश सरकार ने 2010-11 के बजट में 100 करोड़ रुपये  
 असाधारण व्यय को ही कर करीब 100 करोड़ रुपये का निष्ठा  
 है जिससे निर्माण विधीय का काम प्रगति पर हो रहा है।  
 और तो ही 100 करोड़ रुपये के अनुदान मुहैया कर दिए गए हैं।  
 निर्माण कार्य को तेज कराने का उद्देश्य है। तथा राज्य  
 की सबसे अधिकारी से राजस्वों में वृद्धि कराने का निर्देश  
 को के साथ ही एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने में यह एक रास्ता

1/ 2010

2010 2010





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

२२/११/७१

II-

सविनया से अनुमति लेकर अनुमति प्राप्त होने के तीन महीने के  
 अन्दर विनांग पत्र के पत्र के सिद्ध प्रेषण अवश्य विचारित कर  
 देना तथा यदि ऐसा करना न हो सके तो इन्कार नहीं करना तथा लेख  
 बन्धन नगर के ६० (Sixty) - १००० मीटर अन्तर्गत सिद्ध पत्र  
 से पत्र कलक विनांग प्रेषण अवश्य विचारित कर देना तथा यदि  
 पत्रकवाली या कलकवाली नहीं करे, १ फीट के पत्र के पत्र की  
 पत्रक के विनांग पत्र को यह प्रमाणित हो के १० महीने  
 अन्तर्गत सिद्ध विनांग विचारित करना है।

२२/११/७१









उत्तर प्रदेश (UP) PRADOSH


NR 000764

08 MAR 200

- 11 -

जमागत है। यह कि इन दिवस जमागत मात्र के रूप में अन्त  
 अर्द्ध जमागत किसी तरह का भव इस सम्बन्धि कि सीमा में अन्त  
 अन्य का पुत्रान न माना जाये। अन्त यह कि कोई जमागत न  
 जाये।

६० के उपरका अन्त मात्र मात्र करीब करीबतीन दोन  
 में सामान्य रूप में अन्तगत मात्र है इसलिए किरीतिन सम्बन्धि  
 का र. २२६०००/- की अन्तगत में अन्तगत के विधिगत मुनि  
 अन्तगत के को अन्तगत र. २६०००/- है। कि किरीतिन





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

168A535

14


पूजा, मुनि की मर्यादा मूल से कम है इसलिए निम्नवत्त  
 राजास मूल पर ही रु. 50,000/- कागज न्याय कर देना  
 का यह ही प्रथम का मुनि हीनेर का नीचे अनुप्राणित मुनि के  
 शक्य है 30 दिना अनुभव पर के निष्पत्ति का शक्य यह  
 डीपीन का एक यह विना गया है।

विशाल का निम्न अनुभव पर प्रथम पर के डीपीन का जो  
 का में विना केनी अंतः व प्रवाह के समान विना का के शक्य

१) मर्यादा

१) मुनि के





बिना चित्रों के प्रश्न

1. निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक चित्र खींचें और एक संक्षिप्त विवरण दें।

(a) अणु

(b) अणु

(c) अणु

(d) अणु

(e) अणु

(f) अणु




(g) अणु



एक चित्र खींचें और एक संक्षिप्त विवरण दें।



एक चित्र खींचें और एक संक्षिप्त विवरण दें।



एक चित्र खींचें और एक संक्षिप्त विवरण दें।

समाधान किए बिना यदि प्रस्ताव पड़े और क्या करना - इसे पर  
कम नहीं।

शिथिल भूदान विवरण

1. न्यून भूदान नं० 7, 14, 20 / - जंगल क्षेत्र भूदान - 1949/50 का  
विभाजित 1908/2011 के बाद संशोधन किए हुए भूदान  
संशोधन विधि पर ही जारी हुए।

2. न्यून भूदान नं० 14, 20, 21 / - जंगल क्षेत्र भूदान - 1949/50 का  
इसे।

इन प्रस्तावों के अंतर्गत कुल रकम 7, 14, 20, 21 / का  
सब कुछ अंशभूत जंगल नं० 14, 20, 21 / के अंतर्गत ही जारी  
जाने हुए दिखते हैं। अतः प्रस्ताव पर संशोधन किया है।

अंशभूत  
दिनांक : 18/03/2011  
स्थान :

1. जंगल क्षेत्र भूदान नं० 7, 14, 20 / का  
विभाजित 1908/2011 के बाद संशोधन  
किए गए भूदान नं० 7, 14, 20 / का

  
अंशभूत

2. जंगल क्षेत्र भूदान नं० 14, 20, 21 / का  
इसे।  
अंशभूत

  
अंशभूत

अंशभूत  
  
(सुबोधन सिंह)  
शिथिल भूदान नं० 7, 14, 20 /

अंशभूत  
  
(सुबोधन सिंह)  
शिथिल भूदान नं० 7, 14, 20 /

Kim

Registration: 192

Year: 201

201

Profile

1

2011 192

Photo  
of the...  
and






Page

Page 1 of 1

Page 2 of 2

Page 3 of 3

1001 - 1002  
1003 - 1004  
1005 - 1006  
1007 - 1008





Order No. 18012011 of

date 1 June 1955

to the 11 of 54 volume 1021

of the 11 of 54

Department of 11

11

11

11

11

11

11

